झारखण्ड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन समिति
स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड
फोन न0– 0651–2261000,2261856–2261002 मेल आई0डी0–nrhmjharkhand3@gmail.com

पत्रांक : 9/RCH- 1798 (MD) दिनांक : 10.09.2020

प्रेषक,

अभियान निदेशक
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखण्ड।

सेवा में,

State Representative, Indian Medical Association (IMA)
State Representative, Indian Association of Pediatrician (IAP)
State Representative, FOGSI
State Representative, Trained Nurse Association of India (TNAI)
State Representative, Society of Midwives of India (SOMI)
State Representative, Indian Dietetic Association, Jharkhand Chapter

विषयः– IMS Act **के अनुपालन के संबंध में।**

प्रसंगः– पत्रांक 9/RCH-41/2019-68(HSN) **दिनांक 13.03.2019, पत्रांक** 9/RCH-583(MD) **दिनांक 01.02.2020।**

महाशय/महाशया,

झारखण्ड सरकार बाल मृत्यु दर को कम करने हेतु कृत संकल्प है, इस संदर्भ में NFHS-4 के अनुसार राज्य में बच्चों में जन्म के 1 घन्टे के अन्दर स्तनपान का प्रतिशत 33.2% है, साथ ही 6 माह तक पूर्ण स्तनपान का प्रतिशत 64.8% है। बाल मृत्यु दर को कम करने हेतु उपांकित सूचकांकों में अपेक्षित सुधार की आवश्यकता है।

आप अवगत हैं कि बच्चों के बौद्धिक एवं शारीरिक विकास में बच्चे के जन्म के 1 घन्टे के अन्दर स्तनपान तथा 6 माह तक केवल स्तनपान की भूमिका महत्वपूर्ण है। जन्म के 1 घंटे के अन्दर स्तनपान शिशु मृयु दर में 20% की गिरावट लाता है। साथ ही बिना स्तनपान के बच्चों में न्यूमोनिया से 15 गुणा तथा डायरिया से 11 गुणा ज्याना मृत्यु का खतरा बना रहता है। डब्बाबंद दूध का प्रयोग स्तनपान के प्रयोग को कम करता है साथ ही ऐसे बच्चों में मृत्यु का खतरा भी बढ़ता है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में डब्बा बंद दूध के प्रयोग को बंद करने एवं स्तनपान को बढ़ावा देने हेतु भारत सरकार ने Infant Milk Substitutes, Feeding Bottles and Infant Foods (Regulation of Production, Supply and Distribution) Act, 1992 and as amended in 2003 (IMS Act) का कानून पूरे देश में लागू किया है।

कानून के तहत जनसमुह के मध्य वितरण होने वाले राशन में नवजात बच्चों (for the infant up to the age of two years) को डब्बाबंद दूध, Feeding Bottle, formula Feed या माँ के दूध के अन्य विकल्पों Infant Milk substitutes, Feeding bottles and infant Foods (Regulation of Production, Supply and Distribution) Act, 1992 and as amended in 2003 का उल्लंघन माना जायेगा। इस Act के तहत सजा का भी प्रावधान है। आप अवगत हैं कि डब्बाबंद दूध या अन्य विकल्पों से बच्चों में संक्रमण की संभावना बढ़ जाती है।

अतः उपांकित परिपेक्ष्य में अनुरोध है कि आपके स्तर से भी 0–6 माह तक के बच्चों में सिर्फ स्तनपान (Exclusive Breastfeeding) को ही बढ़ावा दिया जाय तथा IMS Act का अनुपालन सभी स्तरों पर सुनिश्चित करावाया जाय। सुलभ प्रसंग हेतु IMS Act की प्रति एवं राज्य से निर्गत विभिन्न दिशा–निर्देश इस पत्र के साथ संलग्न है।

अनुलग्नक :– यथोक्त।

विश्वासभाजन

10/9/20

(अभियान निदेशक)

Scanned with CamScanner

ज्ञापांक :– 1798 (MD) दिनांक :– 10.09.2020

प्रतिलिपि :–

1. प्रधान सचिव, स्वास्थ्य चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रधान सचिव, समाज कल्याण, महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
3. नोडल पदाधिकारी, Child Health को सूचनार्थ प्रेषित।
4. सभी सिविल सर्जनों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
5. सभी जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
6. सभी जिला कार्यक्रम प्रबन्धक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
7. पोषण विशेषज्ञ, UNICEF को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

10/9/20

(अभियान निदेशक)

Scanned with CamScanner